संख्या 95/चौवालिस-2-72/86-90

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/
नोयडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1990

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

शासन की यह नीति है कि सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में उच्चकोटि की दक्षता, कार्यकुशलता तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जाय तथा अकुशलता एवं भ्रष्टाचार निवारण के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय। इसी आशय से शासनादेश सं0 1538/44-2-72/86-89, दिनांक 4 जनवरी, 1990 जारी किया गया है। इस शासनादेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिन कर्मचारियों ने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, कार्यकुशलता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाये और यदि उनके कार्य में गिरावट परिलक्षित हो तो उन्हें सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों का समुचित प्रयोग करते हुये सेवा मुक्त किये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

2- राज्याधीन सेवाओं में 50 वर्ष की आयु के पश्चात् कार्मिकों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है तथा अनिवार्य सेवा निवृत्त एवं स्वेच्छा सेवा निवृत्ति के स्पष्ट प्राविधान भी हैं। निगमों के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 1990 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही की जा सकती है :-

1- (क) उन पदों के लिए जिनका नियुक्ति अधिकार शासन में निहित है उनके लिये निदेशक मण्डल के औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् शासन के अनुमोदनोपरान्त स्क्रीनिंग समिति निम्न प्रकार गठित करने पर विचार करें :-

(1) प्रशासनिक विभाग के सचिव
(2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
(3) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी

(ख) जिन पदों के नियुक्ति अधिकार निदेशक मण्डल में निहित हैं उनके लिए निदेशक मण्डल की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् स्क्रीनिंग समिति निम्न प्रकार गठित दिनांक 4 जनवरी, 1990 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त मार्गदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार विधिक राय लेकर निदेशक मण्डल के औपचारिक अनुमोदन के पश्चात् कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अपने प्रशासनिक विभाग और सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को अवगत करायें।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या 95 (1)/चौवालिस-2-72/86-90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग।
(3) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(4) कार्मिक अनुभाग-1।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) सचिव, सहकारिता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने नियंत्रणाधीन सहकारी संस्थाओं में भी सुसंगत नियमों/अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
(7) सचिव, मुख्य मंत्री जी।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।